40 प्रतिशत ऋण प्राथमिकता वाले क्षेत्र को बांटें । इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धांत भी भेजें हैं जिससे कि लघु उद्योग क्षेत्र की ओर ऋण प्रवाह सुगम हो, इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह व्यवस्था भी सम्मिलित है कि 25000 रुपये तक की ऋण सीमा वाले सभी आवेदनों का निपटारा एक पखवाड़े के भीतर हो जाना चाहिए तथा 2500 रुपये से अधिक के ऋण वाले सभी आवेदन 8 से 9 सप्ताह के अन्दर कर दिया जाये । लघु उद्योगों की ओर संस्थानात्मक ऋणों के प्रवाह तथा तत्सम्बन्धी अन्य मामलों की समीक्षा करने और इस क्षेत्र को ऋण देने की व्यवस्था के कार्यकरण में सुधार करनेहेतु उपाय सुझाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक स्थायी सलाहकार समिति भी नियुक्त की है। जून, 1986 के अंत में लघु उद्योग क्षेत्र के उधार लेने वाले एककों की संख्या 18,12,580 थी जिनके पास कुल 8321.04 करोड़ रुपये के बैंक ऋण थे जबकि 1985 के अंत में लघु उद्योग क्षेत्र के उधार लेने वाले 15,58,000 रुपये का एककों के पास कुल 7207.64 करोड़ ऋण था ।

लघु उद्योगों के विकास, विस्तार, आधुनिकीकरण और पुनर्वास हेतु पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में मई 1986 के दौरान एक लघु उद्योग विकास निधि की स्थापना की गयी थी जिसमें आरंभिक राशि 2500 करोड़ रुपये की थी । नए एककों की स्थापना करने तथा जीव्यक्षम रूग्ण एककों के पुनर्वास हेतु लघु उद्यमियों को इक्विटी सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक राष्ट्रीय इक्विटी निधि स्थापित करने की भी घोषणा की है।

मार्च 1986 तक राज्य वित्त निगमों द्वारा 207819 लघु उद्योग एककों को 3579.97 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है ।

रूग्ण औद्योगिक एककों को पुनरूज्जीवित करनेहेतु भारत सरकार एक सीमांत धन योजना चला रही है जिसके अंतर्गत राज्यों को समान आधार पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है । इस योजना के अंतर्गत 1983 से 86 की तीन वर्ष की अवधि में राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों के प्रशासनों को 142.90 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गयी थी । इस योजना को जून 1987 में उदार बनाया गया था । संशोधित योजना में सहायता की अधिकतम सीमा 20,000 रुपये प्रति एकक से बढ़कर 50,000 रुपये प्रति एकक कर दी गयी है ।

Workers' participation in coal industry

3462. PROP. N. M. KAMBLE: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the report of the Committee of Representatives of Central Trade Unions constituted to evolve a commonly acceptable scheme for workers participation in management in coal industry has been received; and

(b) if so, whether the scheme to constitute Joint Management Com-mdtees at unit level has been implemented?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI VASANT SATHE): (a) and (b) The report of the Committee of trade union leaders set up for evolving an acceptable procedure for selecting workers' representatives under the scheme of workers' participation in management at unit level in the coal industry has been received. The Committee could not, however, workout a scheme acceptable to all the trade unions. In the circumstances, the Labour Ministry's scheme for workers' participation in management announced in 1983 is being implemented with workers' represetatives selected by consensus.

भोपाल गैस पीड़ितों का पुनर्वास

3463. श्री केशव प्रसाद शुक्ल :
श्रीमती वीणा वर्मा :
ठाकुर जगतपाल सिंह :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार भोपाल गैस पीड़ित के पुनर्वास के लिए एक

व्यापक योजना तैयार करने की आवश्कता महसूस करती है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने ऐसी व्यापक योजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता दिये जाने की मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार को पुर्वोक्त विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पट्रो रसायन विभाग में राज्यमंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार को गैस पीड़ितों के कल्याण के लिये विभिन्न राहत एवं पुनर्वास कार्यक्रमों की योजना बना रही है और कार्यान्वित कर रही है, जो पहले ही एक पुनर्वास योजना तैयार करती है तथापि राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह गत समय अनुभवों और प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए पुनर्वास की समीक्षा करें और वित्तीय अनुमानों के साथ साथ विस्तृत योजनाएं स्कीमों को व्यापक ढंग से तैयार करे।

(ग) और (घ) गैस पीड़ितों को राहत देन एवं पुनर्वास हेतु केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को 55 करोड़ रुपये का मध्यावधि ऋण पहले ही दे दिया है।

Irregularities committeed by NLC officers

3464. SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH:
SHRI D. B. CHANDRE GOWDA:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there have been a large number of irregularities committed by some senior officers of Neyveli Lignite Corporation Limited and Coal India Ltd. in the matter of purchases of which the CBI has taken note;

(b) whether it is also a fact that the CBI has been facing maximum difficulties in conducting enquiries into the matter due to want of cooperation from the management and suppression of material facts by the vested group of officers in the organisation;

(c) if so what are the details there of; and

(d) what action is being proposed to be taken in this regard to assist the CBI to complete the enquiries forthwith as well as to bring to book all culprits irrespective of their positions?

THE MINISTER OF ENERGY **(SHRI** VASANT SATHE): (a) to (d) No enquiry is being conducted by CBI against any officer of Neyveli Lignite Corporation Limited, information regarding any enquiry by CBI is being collected.

असम राज्य बिजली बोर्ड द्वारा गैस ट[illegible] मशीनों का आयात

3465. **श्री अजीत सिंह :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम राज्य बिजली बोर्ड ने गैस टर्बाइन मशीनें आयात करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बोर्ड की ये मशीनें आयात करने की अनुमति प्रदान की है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि हमारे देश के पास ऐसी गैस टर्बाइन मशीनें अपने यहां बनाने की क्षमता मौजूद है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) ग्लोबल टेंडर योजना के अंतर्गत जापान से 15 मे०वा० के 4 टी०जी० सेटों का आयात करने